

वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

2.1.1 विनियोग लेखे सरकार के प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु दत्तमत एवं प्रभारित व्यय के लेखे हैं, जिनकी तुलना विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में विशेष रूप से यथा उल्लेखित विभिन्न उद्देश्यों के लिए दत्तमत अनुदानों एवं प्रभारित विनियोगों की राशियों से की जाती है। इन लेखाओं में मूल बजट अनुमान अनुपूरक अनुदानों, समर्पण तथा पुनर्विनियोजन स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध किये जाते हैं और ये लेखे बजट के प्रभारित एवं दत्तमत दोनों मदों के संबंध में विनियोग अधिनियम द्वारा अधिकृत व्यय की तुलना में वास्तविक पूंजीगत तथा राजस्व व्यय इंगित करते हैं। इस प्रकार विनियोग लेखे वित्तीय व्यवस्था के प्रबंधन और बजटीय प्रावधानों की निगरानी को अभिप्रेरित करते हैं और इसलिए यह वित्त लेखे के संपूरक हैं।

2.1.2 विनियोग की लेखापरीक्षा यह जाँच करने का प्रयास करती है कि क्या व्यय विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत वास्तविक रूप से किया गया जो विनियोग अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये प्राधिकार के अनुरूप है और जब भी व्यय, संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत भारित किया जाना चाहिए तब भारित किया गया है। यह भी सुनिश्चित करती है कि इस प्रकार किया गया व्यय विधि संबंधित नियमों, विनियोगों एवं अनुदेशों के अनुरूप है।

2.2 बजट प्रबंधन हेतु प्रक्रिया

मध्य प्रदेश के बजट नियमावली (छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा यथा अंगीकृत) के अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्य के बजट प्राक्कलन प्रत्येक विभाग के प्रमुख या नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त के पूर्व तैयार किया जाता है। वित्त विभाग द्वारा प्रदाय प्रपत्र में बजट नियमावली के अनुच्छेद 61 के अनुसार वित्त विभाग को प्रत्येक वर्ष विधायिका के समक्ष आंकलित राजस्व एवं व्यय का विवरण तैयार कर प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बजट नियमावली के अनुच्छेद 91 के अनुसार सभी अनुमानित बचतों को यदि उनका अनुमान किया गया हो तथा वे अन्य किसी ईकाई या ईकाइयों के आधिक्य को समाहित करने हेतु आवश्यक न हो, सरकार को तुरंत समर्पित कर देना चाहिए। आगे, बजट नियमावली के अनुच्छेद 116 के अनुसार प्रत्येक संवितरण अधिकारी उनके अधिपत्य में रखे आवंटन के लिए उत्तरदायी है वह विनियोजन की प्रत्येक इकाई में हुए व्यय की प्रगति पर कड़ी निगरानी रखता है तथा उसके अधीनस्थ को पर्याप्त समय में अतिरिक्त व्यय की संभावना को समय पर नियंत्रण अधिकारी को सूचित कर अतिरिक्त निधि प्राप्त कर संभावित अतिरिक्त व्यय से बचाता है।

हमने वर्ष 2015-16 के दौरान अनुदानों में अत्यधिक बचत एवं आधिक्यों को देखा, जो बजट प्रबंधन में कमियों का दर्शाता है जिसे आगे की कंडिका में दर्शाया गया है।

2.3 विनियोग लेखे के सारांश

वर्ष 2015-16 के दौरान 71 अनुदानों/विनियोगों के विरुद्ध वास्तविक व्यय के सारांश की स्थिति तालिका 2.1 में दर्शायी गई है।

तालिका 2.1: मूल/अनुपूरक प्रावधान की तुलना में वास्तविक व्यय की स्थिति का सारांश

		(₹ करोड़ में)							
	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	बचत (-)/अधिक्य (+)	समर्पण की राशि	31 मार्च को किये गये समर्पण की राशि	31 मार्च को किये गये समर्पण की राशि का बचत राशि से प्रतिशत
दत्तमत	राजस्व	51,788.54	4,782.20	56,570.74	41,867.09	(-)14,703.65	14,117.97	13,795.43	93.82
	पूंजीगत	11,653.55	1,300.41	12,953.96	8,263.79	(-)4,690.17	2,538.63	2,516.84	53.66
	ऋण तथा अग्रिम	283.06	0.00	283.06	165.22	(-)117.84	115.74	115.74	98.22
कुल दत्तमत		63,725.15	6,082.61	69,807.76	50,296.10	(-)19,511.66	16,772.34	16,428.01	84.20
भारित	राजस्व	2,730.50	67.03	2,797.53	2,795.95	(-)1.58	72.59	72.59	उपलब्ध नहीं
	पूंजीगत	7.38	4.48	11.86	11.63	(-)0.23	0.43	0.43	उपलब्ध नहीं
	लोक ऋण पुनर्भुगतान	1,082.87	639.51	1,722.38	1,250.18	(-)472.20	471.72	471.72	99.90
कुल भारत		3,820.75	711.02	4,531.77	4,057.76	(-)474.01	544.74	544.74	उपलब्ध नहीं
कुल योग		67,545.90	6,793.63	74,339.53	54,353.86	(-)19,985.67	17,317.08	16,972.75	84.92

(स्रोत: विनियोग लेखे 2015-16)

- अवधि 2015-16 में कुल बचत ₹ 19,985.67 करोड़ रहा जो कि राजस्व अनुभाग के 64 अनुदानों एवं 40 विनियोगों तथा पूंजीगत अनुभाग के 51 अनुदानों एवं पांच विनियोगों में, कुल बचत राशि ₹ 20,083.91 और राजस्व के अनुभाग के एक अनुदान एवं एक विनियोग तथा पूंजीगत अनुभाग के दो अनुदानों एवं एक विनियोग में कुल ₹ 98.24 करोड़ के अधिक व्यय के प्रतिसंतुलन का परिणाम था।
- वर्ष के दौरान अनुपूरक प्रावधान ₹ 6,793.63 करोड़ था जो मूल प्रावधान का 10.06 प्रतिशत रहा।
- वास्तविक व्यय (₹ 54,353.86 करोड़), मूल बजट प्रावधान (₹ 67,545.90 करोड़) से भी कम होने के कारण, अनुपूरक प्रावधान (₹ 6,793.63 करोड़) अनावश्यक सिद्ध हुई। यह अवास्तविक बजट अनुमान एवं बजट नियंत्रण में कमी को दर्शाता है।
- वर्ष 2015-16 के अंत में, ₹ 20,083.91 करोड़ के कुल बचत राशि में ₹ 17,317.08 करोड़ समर्पित किया गया तथा ₹ 2,766.83 करोड़ (कुल बचत का 13.78 प्रतिशत) का बचत संबंधित विभागों द्वारा समर्पित नहीं किया गया। आगे, ₹ 16,972.75 करोड़ मार्च 2016 के अंतिम दिवस पर समर्पित किया गया, फलस्वरूप इस राशि को अन्य विकासात्मक कार्यों में सदुपयोग करने की संभावना नहीं रही।
- राज्य शासन का मदवार व्यय की स्थिति महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छत्तीसगढ़ द्वारा मासिक सिविल लेखा विवरण तथा मासिक विनियोग लेखा द्वारा मुहैया कराया गया था। इसके बावजूद शासन द्वारा अनुदान के अत्यधिक बचत एवं व्यय को कम करने हेतु कदम नहीं उठाया गया।

2.4 वित्तीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन

2.4.1 विनियोग की तुलना में आबंटनीय प्राथमिकतायें

विनियोग लेखापरीक्षा का परिणाम यह दर्शाता है कि 64 प्रकरणों से संबंधित 45 अनुदानों एवं चार विनियोगों के प्रत्येक प्रकरण में बचत ₹ 10 करोड़ या अधिक एवं कुल प्रावधानों के

भी 20 प्रतिशत से अधिक की सकल बचत ₹ 17,514.84 करोड़ है, जिसे परिशिष्ट 2.1 (अ) में दर्शाया गया है।

आगे, ₹ 20,083.91 करोड़ के कुल बचत के विरुद्ध 22 अनुदानों में ₹ 100 करोड़ या ज्यादा तथा कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से ज्यादा और एक विनियोग में ₹ 17,298.78 करोड़ (कुल बचत का 86 प्रतिशत) का प्रभावी बचत हुआ, जैसा कि तालिका 2.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2: ₹ 100 करोड़ एवं अधिक तथा अनुदान के 10 प्रतिशत या उससे अधिक बचत वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

स. क.	अनुदान क.	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
क-राजस्व दत्तमत						
1	08	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	669.36	556.28	113.08	16.89
2	10	वन	909.67	803.98	105.69	11.62
3	13	कृषि	1,021.00	755.77	265.23	25.98
4	19	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	1,314.22	1,124.45	189.77	14.44
5	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	156.29	41.79	114.50	73.26
6	24	लोक निर्माण कार्य-सड़के तथा पुल	1,068.38	753.65	314.73	29.46
7	27	स्कूल शिक्षा	3,922.70	2,965.25	957.45	24.41
8	30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	2,413.14	1,279.60	1,133.54	46.97
9	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	5,329.81	3,714.54	1,615.27	30.31
10	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	9,554.34	6,408.15	3,146.19	32.93
11	44	उच्च शिक्षा	594.72	462.67	132.05	22.20
12	47	तकनिकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	592.05	256.16	335.89	56.73
13	55	महिला और बाल कल्याण से संबंधित व्यय	907.87	621.76	286.11	31.51
14	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	3,237.88	1,384.07	1,853.81	57.25
15	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	3,300.30	2,152.20	1,148.10	34.79
16	67	लोक निर्माण-भवन	503.99	377.89	126.10	25.02
17	69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण	484.58	139.04	345.54	71.31
18	80	त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	3,498.55	3,096.12	402.43	11.50
19	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	1,525.89	1,224.58	301.31	19.75
20	82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	1,396.54	1,139.50	257.04	18.41
योग-क			42,401.28	29,257.45	13,143.83	
ख-पूंजीगत दत्तमत						
21	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	920.69	304.24	616.45	66.96
22	24	लोक निर्माण- सड़क एवं सेतु	1,494.20	815.44	678.76	45.43

वर्ष 2015-16 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

1	2	3	4	5	6	7
23	30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	991.55	673.83	317.72	32.04
24	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2,353.81	1,666.85	686.96	29.19
25	42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण-सड़क एवं सेतु	781.67	409.67	372.00	47.59
26	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	1,158.17	687.73	470.44	40.62
27	67	लोक निर्माण-भवन	608.51	482.86	125.65	20.65
28	75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	401.50	285.27	116.23	28.95
29	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	407.50	108.96	298.54	73.26
योग-ख			9,117.60	5,434.85	3,682.75	
ग-पूँजीगत प्रभारित						
30		लोक ऋण	1,722.38	1,250.18	472.20	27.42
योग-ग			1,722.38	1,250.18	472.20	
योग क+ख+ग			53,241.26	35,942.48	17,298.78	

(स्रोत: विनियोग लेखे 2015-16)

इसके अतिरिक्त, 11 अनुदानों के 40 उप-शीर्षों/योजनाओं के प्रत्येक प्रकरण में ₹ 20 करोड़ और उससे अधिक की महत्वपूर्ण बचत पायी गयी। कारणों के साथ, बचत का विस्तृत विवरण वर्ष 2015-16 के विनियोग लेखे में प्रदर्शित की गयी है जो परिशिष्ट 2.1 (ब) में दिया गया है।

2.4.2 सतत् अतिरेक व्यय

15 अनुदानों के अंतर्गत 22 योजनाओं में विगत तीन वर्षों के दौरान प्रावधान से अधिक सतत् व्यय पाया गया। इन योजनाओं में प्रत्येक वर्ष में हुए अधिक व्यय को तालिका 2.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.3: सतत् अतिरेक व्यय

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	मांग सं.	योजनाओं के नाम	2013-14	2014-15	2015-16
1	1	2052-090-4327-सचिवालय	0.14	0.08	2.66
2	3	2055-003-195- अन्य पुलिस प्रशिक्षण शालाएं	7.53	0.86	0.04
3		2055-109-4491- सामान्य व्यय (जिला स्थापना)	5.73	12.28	2.86
4	4	2235-60-200-2653- पूर्व दृष्टि प्रयोजनों के लिए अनुदान	0.90	0.70	2.25
5	6	2071-01-102-3080- भारत में पेंशन का रूपान्तरित मूल्य का भुगतान	3.88	3.22	3.88
6		2071-01-105-2514- परिवार पेंशन	94.55	198.41	191.21
7		2071-01-111-4010- विधायकों का पेंशन	0.66	3.82	4.73
8		2235-60-200-7000- पेंशन कल्याण कोष की राशि की प्रतिपूर्ति	2.06	4.43	3.56
9	7	2030-03-001-1480- जिला प्रभार	4.44	8.58	2.58
10	11	2851-200-1464- जिला उद्योग केन्द्र	0.35	0.02	0.02
11	17	2425-001-123- अधीक्षण	0.07	0.04	0.07
12	19	2071-01-800-5499- पेंशनरों को चिकित्सा सुविधा	2.02	2.25	3.02
13		2210-03-197-5998- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	1.05	5.96	10.60
14		2210-06-101-8150- बहुदेशीय कार्यकर्ता योजना	2.65	2.27	4.69
15	23	2700-01-101-2894- बांध तथा नहरें	1.95	1.07	0.88
16		4700-01-001-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) -3556-जिला स्थापना	0.07	0.02	0.02

17	27	2202-01-001-3930- विकास खण्ड स्तर कार्यालय की स्थापना (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)	1.17	0.09	0.41
18	41	2210-03-796-197-0102- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-5998-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	3.20	7.48	11.47
19	44	2202-03-103-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-798- कला, विज्ञान, तथा वाणिज्य महाविद्यालय	0.16	0.19	0.97
20	55	2235-02-102-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 9044- एकीकृत बाल विकास सेवा योजना	6.52	0.31	3.03
21	58	2245-02-111-7352- शोकाकुल परिवारों को सहायक अनुदान	3.15	2.07	2.75
22	64	2216-03-789-105-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना-6549- इंदिरा आवास योजना	4.26	4.23	0.02

(स्रोत: विनियोग लेखे 2013-16)

यह इंगित करता है कि विभाग धन की आवश्यकता का कुशलतापूर्वक आंकलन करने में असफल रहा जिसके परिणामस्वरूप प्रावधान से अधिक व्यय हुआ।

2.4.3 योजनाओं के अंतर्गत व्यय का अतिरेक

27 प्रकरणों में, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कुल ₹ 4,618.74 करोड़ अधिक व्यय हुआ जिसमें प्रत्येक प्रकरण में स्वीकृत प्रावधान से ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक व्यय हुआ जिसका विवरण परिशिष्ट 2.2 में दर्शाया गया है।

2.4.4 सतत् बचतें

अवधि 2011-12 से 2015-16 के दौरान 11 प्रकरणों (10 अनुदानों) में, प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ से अधिक की सतत् बचतें थी जैसा कि तालिका 2.4 में प्रदर्शित है। वर्ष 2015-16 के संबंधित अनुदानों में कुल बचतें 10.15 और 47.59 प्रतिशत के बीच थी जो यह इंगित करता है कि बजट वास्तविक नहीं था।

तालिका 2.4: अवधि 2011-16 के दौरान अनुदानों के अंतर्गत सतत् बचतों की सूची

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदानों का नाम	पिछले वर्षों की बचत				
			2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
राजस्व दत्तमत							
1	10	वन	39.06 (6.19)	73.40 (10.93)	73.09 (9.98)	57.65 (7.34)	105.70 (11.62)
2	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	13.16 (4.19)	30.78 (10.26)	54.68 (16.89)	90.03 (19.21)	50.24 (12.80)
3	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	641.76 (20.31)	629.07 (17.03)	1,072.97 (22.82)	2,393.70 (28.82)	3,146.19 (32.93)
4	44	उच्च शिक्षा	139.25 (35.12)	146.54 (33.72)	140.49 (26.47)	186.97 (32.90)	132.05 (22.20)
5	55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	141.60 (20.79)	156.44 (21.16)	115.87 (17.78)	229.20 (28.01)	286.11 (31.51)
6	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	397.67 (34.22)	284.43 (23.49)	398.96 (26.98)	932.09 (30.94)	1,148.10 (34.79)
7	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	60.89 (24.77)	56.11 (21.69)	84.63 (25.94)	68.11 (18.85)	66.00 (16.96)

पूँजीगत दत्तमत							
8	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	592.70 (40.33)	734.34 (37.91)	626.73 (31.00)	808.73 (41.50)	686.97 (29.19)
9	42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	232.71 (58.54)	234.80 (51.05)	185.03 (40.78)	81.59 (19.48)	372.00 (47.59)
10	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	263.74 (72.35)	149.14 (42.88)	124.31 (31.30)	56.81 (15.21)	125.66 (20.65)
11	68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन	57.10 (45.14)	74.24 (40.71)	67.02 (36.29)	46.83 (20.21)	20.87 (10.15)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

वर्षों से बड़ी संख्या में अनुदानों में सतत् बचतें परिचारक हैं कि सरकार द्वारा विनियोग लेखे में पूर्व के वर्षों के रुझानों तथा मांग एवं व्यय के प्रवाह का सूक्ष्म परीक्षण किये बिना धन राशि के जरूरत का अधिक आंकलन किया गया।

इसे पूर्व में भी राज्य वित्त प्रतिवेदन में इंगित किया गया था परन्तु राज्य सरकार द्वारा इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई।

2.4.5 योजनाओं के अंतर्गत अनुपयोगी प्रावधान

30 अनुदानों के अंतर्गत 53 प्रकरणों में विभिन्न योजनाओं के लिए किए गए कुल प्रावधानों का कुल ₹ 1,366.82 करोड़ अनुपयोगी रह गया। विस्तृत विवरण परिशिष्ट 2.3 में दिया गया है।

2.4.6 अनावश्यक/अत्यधिक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

वर्ष के दौरान एक करोड़ या उससे अधिक की अनुपूरक प्रावधान के 38 प्रकरणों में प्राप्त कुल ₹ 2,331.89 करोड़ पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था। विस्तृत विवरण परिशिष्ट 2.4 दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त 11 प्रकरणों में ₹ 1,705.50 करोड़ के अतिरिक्त मांग के विरुद्ध ₹ 4,366.63 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ। प्रत्येक प्रकरण में शेष बचतें जो एक करोड़ से ज्यादा थी, कुल ₹ 2,661.13 करोड़ था जो परिशिष्ट 2.5 में दर्शाया गया है।

यह इंगित करता है कि बी.सी.ओ. ने वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए निधियों की वास्तविक आवश्यकता का उचित ढंग से मूल्यांकन नहीं किया तथा बजट नियमावली में वर्णित मासिक व्यय नियंत्रण तंत्र के जरिए व्यय के प्रवाह की निगरानी नहीं किया।

2.4.7 निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन एक अनुदान के भीतर विनियोग की एक इकाई जहाँ बचत प्रत्याशित है, से दूसरी इकाई जहाँ अतिरिक्त आवश्यकता है, में निधियों का स्थानान्तरण है।

हमने पाया कि पुनर्विनियोजन के पश्चात् 16 अनुदानों और एक विनियोग के अंतर्गत 36 योजनाओं में ₹ 10 करोड़ और उससे अधिक की अतिरेक/बचत हुई जैसा परिशिष्ट 2.6 में वर्णित है। यह इंगित करता है कि प्राक्कलनों का आंकलन उचित ढंग से नहीं किया गया, यहाँ तक कि पुनर्विनियोजन के जरिए निधियों की निकासी/वृद्धि के पश्चात् भी अनुदानों में अंतिम बचत/अतिरेक हुई।

2.4.8 वास्तविक बचत से अधिक समर्पण

25 प्रकरणों में, (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख और अधिक) वास्तविक बचत से अधिक राशियों का समर्पण, इन विभागों में अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को दर्शाता है। कुल ₹ 5,254.88 करोड़ की बचत के विरुद्ध ₹ 5,691.72 करोड़ समर्पित किया गया जिसके फलस्वरूप ₹ 436.84 करोड़ का अधिक समर्पण हुआ। विस्तृत विवरण परिशिष्ट 2.7 में दिया गया है। संबंधित विभागों ने वर्ष 2015-16 (जुलाई 2016) के विनियोग लेखे के अंतिम रूप देने तक समर्पणों का कारण/स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया।

2.4.9 पूर्वानुमानित बचत का समर्पण नहीं किया जाना

मध्यप्रदेश बजट नियमावली की कंडिका 131 के अनुसार, बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा व्यय में प्रत्याशित बचत का विवरण वित्त विभाग को 15वीं जनवरी तक प्रस्तुत कर देना चाहिए।

7 अनुदानों के अंतर्गत 8 प्रकरणों में प्रत्येक प्रकरण में ₹ 1 करोड़ से अधिक बचत हुआ परन्तु संबंधित विभागों द्वारा उसका कोई भी भाग समर्पित नहीं किया गया। इन प्रकरणों में कुल राशि ₹ 1,523.56 करोड़ (कुल बचत ₹ 20,083.91 करोड़ का 7.59 प्रतिशत) शामिल था, जैसा कि परिशिष्ट 2.8 में विस्तृत दिया गया है।

उसी तरह, 20 अनुदानों तथा दो विनियोगों (समर्पण के पश्चात् प्रत्येक अनुदान में बचत ₹ एक करोड़ और उससे अधिक) में कुल प्रावधान राशि ₹ 9,120.86 करोड़ की बचत में से राशि ₹ 1,913.83 करोड़ (उपरोक्त वर्णित बचत का 20.98 प्रतिशत) को समर्पित नहीं किया गया जैसा कि परिशिष्ट 2.9 में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, 78 प्रकरणों में (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ से अधिक निधियों का समर्पण) मार्च 2016 के अंतिम दिवस को ₹ 16,981.67 करोड़ समर्पित किया गया जैसा कि परिशिष्ट 2.10 में विस्तृत विवरण दिया गया है। यह अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण का सूचक है जिसके कारण निधियाँ अवरुद्ध हो गईं तथा अन्य विकासात्मक कार्यों के लिए उपलब्ध नहीं थी। विभागों ने विनियोग लेखे वर्ष 2015-16 (जुलाई 2016) को अंतिम रूप देने तक वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस को बचत को समर्पित करने के कारणों को प्रस्तुत नहीं किया।

2.4.10 अविवेकपूर्ण समर्पण

एक अनुदान (राजस्व शीर्ष के अंतर्गत मांग संख्या 50) तथा दो विनियोगों (राजस्व शीर्ष के ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा एवं पूंजीशीर्ष के अंतर्गत मांग संख्या 41) में कुल प्रावधान राशि ₹ 2,282.99 करोड़ के विरुद्ध राशि ₹ 2,352.45 करोड़ व्यय हुआ जिसके फलस्वरूप ₹ 69.46 करोड़ अधिक व्यय हुआ। इसके बावजूद, इन अनुदानों के अंतर्गत राशि ₹ 11.08 करोड़ का समर्पण किया गया जो कि अविवेकपूर्ण था। विस्तृत विवरण तालिका 2.5 में दिया गया है।

तालिका 2.5: अविवेकपूर्ण समर्पण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	मांग सं.	अनुदान का नाम	कुल प्रावधान	व्यय	अधिक व्यय	समर्पण राशि
राजस्व दत्तमत						
1	50	बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय	1.54	2.48	0.94	0.46
राजस्व प्रभारित						
2		ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2,281.30	2,348.91	67.61	10.47
पूंजीगत दत्तमत						
	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	0.15	1.06	0.91	0.15
योग			2,282.99	2,352.45	69.46	11.08

(स्रोत: विनियोग लेखे 2015-16)

2.4.11 2015-16 के अवधि के दौरान प्रावधान से अतिरेक को नियमित करने की आवश्यकता

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, राज्य विधानमंडल द्वारा अनुदान/विनियोग से अधिक का नियमितकरण राज्य सरकार को प्राप्त करना अनिवार्य है। तालिका 2.6 में वर्ष 2015-16 के दौरान तीन अनुदानों और दो विनियोगों के निधि को सात खंडों में प्रावधान से अधिक व्यय राशि ₹ 98.24 करोड़ का राशीकृत विवरण दिया गया है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत नियमित किए जाने की आवश्यकता है।

तालिका 2.6: 2015-16 के दौरान प्रावधान से अधिक के नियमितकरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	मांग सं.	अनुदान का नाम/विभाग	कुल मांग/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य राशि जिनका नियमितीकरण वांछित है
राजस्व दत्तमत					
1	50	बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय	1.54	2.48	0.94
राजस्व प्रभारित					
2		ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2,281.30	2,348.91	67.61
पूंजीगत दत्तमत					
3	6	वित्त विभाग से संबंधित अन्य व्यय	0.10	0.49	0.39
4	12	ऊर्जा विभाग से संबंधित अन्य व्यय	157.30	185.69	28.39
पूंजीगत प्रभारित					
5	41	आदिवासी क्षेत्र उप योजना	0.15	1.06	0.91
योग			2,440.39	2,538.63	98.24

(स्रोत: विनियोग लेखे 2015-16)

2.4.12 पिछले वर्ष के संबंध में अतिरेक प्रावधान पर नियमितता की जरूरत (2000-01 से 2014-15)

अवधि 2000-01 से 2014-15 तक के अतिरेक व्यय राशि ₹ 3,146.93 करोड़ को अभी तक नियमित करना था जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट 2.11 में दिया गया है।

2.4.13 व्यय का प्रवाह/अतिवेग

मध्य प्रदेश बजट नियमावली (छ.ग. शासन के द्वारा अनुसरित) की कंडिका 92 के अनुसार, विशेषकर वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय के प्रवाह से बचना चाहिए। व्यय का समरूप प्रवाह को बजटीय नियंत्रण की मूलभूत आवश्यकता को कायम करने को सुनिश्चित करना है। इसके विपरीत, 50 मुख्य शीर्षों में, अंतिम तिमाही के दौरान (₹ 7,889.87 करोड़) व्यय हुआ जो कुल व्यय (₹ 13,356.31 करोड़) के 59 प्रतिशत से ज्यादा है। इसमें कुल 13 प्रकरण हैं जहाँ वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय (₹ 1,502.73 करोड़) हुआ जो वर्ष 2015-16 के दौरान कुल व्यय (₹ 2,233.09 करोड़) का 67 प्रतिशत है जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट 2.12 में दिया गया है।

2.5 आकस्मिकता निधि से अग्रिम

राज्य के छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि नियमावली, 2001 के अनुसार, आकस्मिकता निधि से कोई भी अग्रिम नहीं लिया जाएगा, जब तक कि निधि द्वारा विनियोग के अंतर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा लंबित अप्रत्याशित व्यय के/निधि का संचालन ₹ 40 करोड़ के संग्रह

सीमा के साथ अग्रधन की प्रकृति के अनुरूप किया जाना जाए। उदाहरण के लिए, जैसा कि अधिनियम में उल्लेखित प्रक्रिया अनुरूप/आकस्मिकता निधि से राशि ₹ 1.72 करोड़ की निधि की निकासी का विस्तृत विवरण तालिका 2.7 में दिया गया है।

तालिका 2.7: राज्य के आकस्मिकता निधि से व्यय

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	विभाग	व्यय की प्रकृति जिसके लिए आकस्मिकता निधि से अग्रिम आहरण किया गया है	आहरित माह	अग्रिम राशि
1	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	एम्बुलेंस की खरीदी	अगस्त 2015	0.19
2	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	क्षेत्रीय कार्यालयों में आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन के लिए	अगस्त 2015	1.15
3	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	डिक्री राशि के भुगतान के लिए	अगस्त 2015	0.38
योग				1.72

उपरोक्त से यह विदित है कि ये आकस्मिकता निधि से आहरण के लिए निर्धारित मापदंड को पूरा नहीं कर रहे थे क्योंकि ये व्यय न तो अप्रत्याशित थे और न ही आकस्मिक प्रकृति के थे। अतएव, आकस्मिकता निधि से आहरित अग्रिम अधिनियम का उल्लंघन था।

2.6 अनुदान संख्या -27 स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा

स्कूल शिक्षा विभाग अनुदान संख्या-27 के बजट प्रस्तावों, वास्तविक व्यय और निधि प्रबंधन की समीक्षा जैसा कि नमूना जाँच में (सितंबर 2016) और विनियोग लेखे में प्रतिवेदित है, निम्नलिखित अनियमितताएँ पायी गयी।

2.6.1 सारांशीकृत स्थिति

बजट प्रावधानों, वास्तविक व्यय और वर्ष 2015-16 के दौरान अनुदान संख्या-27 के अंतर्गत आधिक्य/बचत की संपूर्ण स्थिति तालिका 2.8 में दिया गया है।

तालिका 2.8: अनुदान संख्या 27 का बजट प्रावधान और व्यय

(₹ करोड़ में)

विभाग	बजट प्रावधान			वास्तविक व्यय	समर्पण	बचत(-) /आधिक्य(+)
	मूल बजट	अनुपूरक बजट	योग			
राजस्व	3,894.79	27.91	3,922.70	2,965.25	930.64	(-)957.45
पूंजीगत	110.27	0.22	110.49	77.57	33.80	(-)32.92
कुल	4,005.06	28.13	4,033.19	3,042.82	964.44	(-)990.37

(स्रोत: विनियोग लेखे 2015-16)

उपरोक्त तालिका यह दर्शाता है कि कुल बजट प्रावधान ₹ 4,033.19 करोड़ के विरुद्ध ₹ 990.37 करोड़ की बचत हुई (पूर्ण अनुदान का 25 प्रतिशत)। संपूर्ण बचत ₹ 990.37 करोड़ में से राजस्व तथा पूंजीगत में क्रमशः ₹ 957.47 करोड़ तथा ₹ 32.92 करोड़ की बचत हुई। राजस्व तथा पूंजीगत में अनुपूरक अनुदान क्रमशः ₹ 27.91 करोड़ तथा ₹ 0.22 करोड़ की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मूल प्रावधान से भी व्यय कम हुआ है। बचत राशि ₹ 990.37 करोड़ के विरुद्ध ₹ 964.44 करोड़ का समर्पण अविवेकपूर्ण है।

2.6.2 बजट प्राक्कलन से अधिक्य व्यय

मध्यप्रदेश बजट नियमावली (छ.ग. शासन द्वारा अनुसरण किया गया) की कंडिका 91 के अनुसार, बजट नियंत्रण अधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि वह उसके नियंत्रण के अधीन

लोक सेवाओं पर हुए व्यय में वृद्धि पर निगरानी के साथ व्यय को स्वीकृत आबंटन के अधीन रखें।

वर्ष 2015-16 के दौरान, स्कूल शिक्षा विभाग में चार योजनाओं पर कुल बजट प्रावधान ₹ 295.16 करोड़ के विरुद्ध ₹ 302.06 करोड़ व्यय किया जिसके फलस्वरूप व्यय में ₹ 6.10 करोड़ की वृद्धि हुई जैसा कि तालिका 2.9 में विस्तृत है।

तालिका 2.9: प्रावधान से अधिक्य व्यय

(₹ करोड़ में)

स. क.	अनुदान संख्या	लेखाओं के शीर्ष	वर्ष के दौरान कुल प्रावधान	व्यय	अधिक्य व्यय
1	27	2202-01-101-4396-सरकारी प्राथमिक शालाएँ (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)	248.22	250.33	2.11
2		2202-01-112-0701-5169-विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम	28.17	30.07	1.90
3		2202-02-109-0101-5551-हाई स्कूल की छात्राओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय	14.56	16.49	1.93
4		2204-104-1084-खेलकूद तथा गतिविधियों पर व्यय	4.21	5.17	0.96
योग			295.16	302.06	6.90

(स्रोत: विनियोग लेखे 2015-16)

इस प्रकरण को स्कूल शिक्षा विभाग के जानकारी में लाया गया। विभाग द्वारा जवाब दिया गया कि कोई भी आधिक्य व्यय नहीं हुआ है। जबकि, विस्तृत विनियोजन लेखे 2015-16 के अनुसार, जिसमें उपरोक्त योजनाओं पर राशि ₹ 6.90 करोड़ का आधिक्य व्यय दिखाया गया है, विभाग का जवाब मानने योग्य नहीं है।

2.6.3 अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

अनुपूरक अनुदान अधिक व्यय को समाविष्ट करने के लिए प्राप्त किया जाता है जोकि वित्तीय वर्ष के दौरान अनुदानों/विनियोजन की मध्यावधि समीक्षा के बाद पूर्वानुमान के आधार पर तैयार किया जाता है।

अनुदान संख्या- 27 (स्कूल शिक्षा विभाग) के निम्नलिखित अंतर्गत लेखाओं में वर्ष के दौरान तीन योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ जैसा कि विभाग मूल बजट प्रावधान को भी व्यय नहीं कर सका। अनावश्यक बजट प्रावधान का विवरण तालिका 2.10 में दिया गया है।

तालिका- 2.10: अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

लेखाओं का शीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	बजट प्रावधान	व्यय
2202-01-001-1500-जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)	63.45	15.00	59.04	19.41
2202-01-0101-3491-माध्यमिक शालाएँ (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)	479.81	0.10	462.95	16.96
2202-01-0101-4396-सरकारी प्राथमिक शालाएँ (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)	257.77	0.05	234.03	23.79
2202-02-109-0101-7367-मॉडल स्कूल योजना	0.00	5.76	0.00	5.76
4202-01-0101-3491-माध्यमिक शालाएँ (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)	3.00	0.11	0.23	2.88
4202-01-0101-4396-सरकारी प्राथमिक शालाएँ (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)	5.00	0.11	0.99	4.12
योग	809.03	21.13	757.24	72.92

(स्रोत: विनियोग लेखे 2015-16)

प्रकरण को स्कूल शिक्षा विभाग की जानकारी में लाया गया। विभाग द्वारा बताया गया है कि आउटसोर्सिंग प्रक्रिया अपूर्ण होने, फर्नीचर की क्रय नहीं होने तथा प्रशासकीय अनुमोदन अप्राप्त होने के कारण शेष राशि को व्यय नहीं किया गया (नवंबर 2016)।

2.6.4 योजना के अंतर्गत कुल प्रावधानों का उपयोग न होना

मध्य प्रदेश बजट नियमावली के पैराग्राफ 31 के अनुसार एक मुश्त प्रावधान बजट अनुमान में ही बनाना/शामिल करना चाहिए।

अनुदान संख्या-27 (स्कूल शिक्षा विभाग) के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्ष लेखाओं का सम्पूर्ण धनराशि उपयोग में नहीं लाया गया, जिसकी विवरण तालिका 2.11 में दिया गया है।

तालिका 2.11: योजना के अंतर्गत कुल प्रावधानों का उपयोग न होना

स. क्र.	लेखाओं का शीर्ष	बजट प्रावधान	(₹ करोड़ में)	
			व्यय	बचत
1	2202-01-107-0701-7673-विकास खण्ड शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान	3.00	0	3.00
2	2202-02-109-0101-7367-मॉडल स्कूल योजना	5.76	0	5.76
3	2202-80-0101-5528- छत्तीसगढ़ भाषा परिषद् का गठन	0.01	0	0.01
4	4202-01-201-0101-7657-विज्ञान केन्द्र की स्थापना	1.00	0	1.00
5	4202-01-202-0101-5646-सैनिक स्कूल की स्थापना	15.00	0	15.00
6	4202-01-202-0101-578-उच्चतर माध्यमिक शालाएँ	2.00	0	2.00
योग		26.77	0	26.77

(स्रोत: विनियोग लेखे 2015-16)

प्रकरणों को स्कूल शिक्षा विभाग के जानकारी में लाया गया। विभाग द्वारा कहा गया कि प्रशासन स्तर से स्वीकृति नहीं प्राप्त होने के कारण तथा अध्यक्ष तथा सचिव का पद रिक्त होने के कारण बजट प्रावधान को उपयोग में नहीं लाया गया (नवम्बर 2016)।

2.6.5 पुनर्विनियोजन/समर्पण प्रस्ताव भेजने में विलंब

मध्यप्रदेश बजट नियमावली (छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुसरित) के परिशिष्ट-II के अनुसार पुनर्विनियोजन/समर्पण प्रस्ताव वित्त विभाग को संबंधित वित्तीय वर्ष के 15 मार्च के बाद नहीं भेजना चाहिए।

वर्ष 2015-16 के दौरान, ₹ 964.50 करोड़ की राशि 31 मार्च 2016 तक नियमावली के प्रावधानों को उल्लंघित कर समर्पित किए गए।

प्रकरण को स्कूल शिक्षा विभाग की जानकारी में लाया गया। विभाग द्वारा जवाब दिया गया कि वित्त विभाग के पत्रानुसार समर्पण/पुनर्विनियोजन का प्रस्ताव 31 मार्च 2016 तक स्वीकृत किया गया तथा कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को 30 अप्रैल 2016 तक भेजा गया।

विभाग द्वारा दिया गया उत्तर स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस तक बजट के समर्पण, अन्य किसी अनुदान/विनियोग के अंतर्गत सदुपयोग का कोई गुंजाइश नहीं छोड़ा।

2.6.6 अंतिम तिमाही में व्यय की अधिकता

बजट नियमावली की कंडिका 92 के अनुसार, वित्तीय वर्ष के विशेष कर अंतिम माह में व्यय की अधिकता से बचना चाहिए।

हमने पाया कि वर्ष 2015-16 के अंतिम तिमाही के दौरान अनुदान संख्या-27 के अंतर्गत 13 योजनाओं में मार्च के महीने के अंतिम तिमाही में तथा माह मार्च कुल व्यय में 50 से 100 प्रतिशत तक की हुई व्यय में हुई बढ़ोतरी का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 2.13** में दिया गया है।

प्रकरण को स्कूल शिक्षा विभाग की जानकारी में लाया गया। विभाग द्वारा कहा गया कि अपेक्षित जानकारी विभिन्न सेलों से एकत्रित किए जा रहे हैं तथा संकलन हो जाने बाद अग्रेषित किया जाएगा।

2.6.7 उपशीर्ष के अंतर्गत वास्तविक बचत

बजट प्राक्कलन अत्यधिक सावधानीपूर्वक तैयार किया जाना चाहिए ताकि बजट प्राक्कलन न ही बढ़े तथा न ही आवश्यकता से कम हो।

विनियोग लेखों की जाँच से यह स्पष्ट हुआ कि अनुदान संख्या-27 के अंतर्गत, 25 योजनाओं के प्रत्येक प्रकरण में वास्तविक बचत हुई जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 2.14** में दिया गया है।

प्रकरण को स्कूल शिक्षा विभाग की जानकारी में लाया गया। विभाग द्वारा प्रत्युत्तर दिया गया कि सरकार से प्रशासकीय स्वीकृति अप्राप्त होने, कुछेक जिलों द्वारा खर्च नहीं किए जाने तथा भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण वास्तविक बचत हुई। (नवंबर 2016)

2.6.8 सतत् बचत

अनुदान संख्या-27 के अंतर्गत विगत तीन वर्षों में निम्नलिखित 124 उप-शीर्षों/योजनाओं में समीक्षा किए गए सतत् बचतें **परिशिष्ट 2.15** में दर्शाया गया है।

सतत् बचत की पुनरावृत्ति विभाग में मौजूद बजटिंग नियंत्रण में कमी को दर्शाता है।

प्रकरण को स्कूल शिक्षा विभाग की जानकारी में लाया गया। विभाग द्वारा प्रत्युत्तर आया कि भारत सरकार से निधि अप्राप्त, विद्यार्थी कोटा में कमी, विभाग में रिक्त पद नहीं भरे जाने तथा राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता का आयोजन नहीं होने के कारण सतत् बचत हुई। (नवंबर 2016)

2.7 अनुदान संख्या 69—नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की समीक्षा

नगरीय प्रशासन तथा विकास (अनुदान संख्या 69) के संबंध में बजट प्रस्ताव की समीक्षा, वास्तविक व्यय और निधि व्यय जैसा की विनियोग लेखों का वर्णन किया गया है, में निम्नलिखित अनियमितताएँ पायी गईं:

2.7.1 बजट और व्यय

वर्ष 2015-16 के दौरान अनुदान के अंतर्गत बजट प्रस्ताव, वास्तविक व्यय और बचत/आधिक्य का संपूर्ण स्थिति का विवरण **तालिका 2.12** में दिया गया है।

तालिका 2.12: अनुदान संख्या 69 का बजट और व्यय

भाग	बजट प्रावधान			वास्तविक व्यय	समर्पण	बचत(-)/ आधिक्य(+)
	मूल	अनुपूरक	व्यय			
राजस्व	484.58	0	484.58	139.04	345.54	(-)345.54
पूँजीगत	0	0	0	0	0	0
योग	484.58	0	484.58	139.04	345.54	(-)345.54

(₹ करोड़ में)

(स्रोत: विनियोग लेखे 2015-16)

उपरोक्त तालिका यह दर्शाती है कि कुल बजट प्रावधान ₹ 484.58 करोड़ के विरुद्ध ₹ 139.04 करोड़ का व्यय किया गया जिसमें ₹ 345.54 करोड़ की बचत हुई जिसे 31 मार्च 2016 को समर्पण किया गया।

2.7.2 उपशीर्ष के अंतर्गत वास्तविक बचत

बजट प्राक्कलन अधिक सावधानी पूर्वक तैयार किया जाना चाहिए ताकि बजट प्राक्कलन न ही बढ़े, न ही कम हो।

विनियोग लेखों की जाँच से यह स्पष्ट हुआ कि अनुदान संख्या-69 के अंतर्गत, राजस्व भाग में सात योजनाओं के प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक की वास्तविक बचत हुई जिसका विस्तृत विवरण तालिका 2.13 में दिया गया है।

तालिका 2.13: एक करोड़ से ज्यादा का योजनावार बचत

स. क्र.	योजना का नाम	कुल अनुदान	व्यय	बचत	बचत की प्रतिशत
1	2217-80-191-0701-7610-स्वच्छ भारत	37.00	13.45	23.55	64
2	2217-80-191-0701-7685-स्मार्ट सिटी	170.00	4.00	166.00	98
3	2217-80-191-0701-7686-सरदार पटेल शहरी आवास	119.20	3.64	115.56	97
4	2217-80-191-0701-8996-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	22.88	11.42	11.46	50
5	2217-80-192-0701-7610-स्वच्छ भारत	26.00	15.67	10.33	40
6	2217-80-192-0701-8996-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	4.12	2.06	2.06	50
7	2217-80-193-0701-7610-स्वच्छ भारत	30.00	6.24	23.76	79
योग		409.20	56.48	352.72	

(स्रोत: विनियोग लेखे 2015-16)

वास्तविक बचत यह इंगित करता है कि व्यय प्राक्कलन के अनुसार नहीं किए गए तथा जो बजट प्राक्कलन तथा व्यय में नियंत्रण की कमी थी।

2.7.3 योजना के अंतर्गत सम्पूर्ण धन राशि अनुपयोगी रहना

मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिका 31 के अनुसार, एक मुश्त प्रावधान बजट प्राक्कलन में नहीं दर्शाया जाना चाहिए।

विनियोग लेखों की समीक्षा से यह स्पष्ट हुआ कि अनुदान संख्या 69 (नगरीय प्रशासन तथा विकास विभाग) के अंतर्गत तीन योजनाओं की कार्यान्वयन के लिए ₹ 70.87 करोड़ का प्रावधान दिया गया था। जबकि इन योजनाओं के अंतर्गत व्यय निरंक रहा जैसा तालिका 2.14 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.14: योजना के अंतर्गत कुल प्रावधानों का उपयोग न होना

स. क्र.	योजना का नाम	बजट	व्यय	बचत
1	2217-05-191-0101-7681-वाटर ए.टी.एम. की स्थापना	8.40	0	8.40
2	2217-05-192-0101-7681-वाटर ए.टी.एम. की स्थापना	6.16	0	6.16
3	2217-05-193-0101-7681-वाटर ए.टी.एम. की स्थापना	7.91	0	7.91
4	2217-80-191-0701-7404-अपदा प्रबंधन कार्यक्रम	2.00	0	2.00
5	2217-80-191-0101-7682-सार्वजनिक शौचालय का निर्माण	16.58	0	16.58
6	2217-80-192-0701-7404-आपदा प्रबंधन कार्यक्रम	3.00	0	3.00
7	2217-80-192-0101-7682-सार्वजनिक शौचालय का निर्माण	14.30	0	14.30
8	2217-80-193-0701-7404-आपदा प्रबंधन कार्यक्रम	1.50	0	1.50
9	2217-80-193-0101-7682-सार्वजनिक शौचालय का निर्माण	11.02	0	11.02
योग		70.87	0	70.87

(स्रोत: विनियोग लेखे 2015-16)

इन पर गौर किया गया कि इन योजनाओं पर या तो परियोजना अधिकारी द्वारा माँग प्राप्त न होने के कारण या भारत सरकार से केन्द्रीय अंश प्राप्त नहीं होने के कारण व्यय नहीं किया गया। इस तरह इन मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान अनावश्यक साबित हुआ, जो इंगित करता है कि बजट अनुमान में लिए माँग तदर्थ आधार पर तैयार किए गये।

2.7.4 सतत् बचत

अनुदान संख्या-69 अंतर्गत विगत दो वर्षों में निम्नलिखित पाँच उप-शीर्ष/योजनाओं में किए गए सतत् बचते तालिका 2.15 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.15: सतत् बचत

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	लेखाओं का शीर्ष	2014-15		2015-16	
		बजट	बचत	बजट	बचत
1	2217-80-191-0701-7404-आपदा प्रबंधन कार्यक्रम	2.00	2.00	2.00	2.00
2	2217-80-191-0701-8996-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	7.00	0.16	22.88	11.46
3	2217-80-192-0701-7404-आपदा प्रबंधन कार्यक्रम	3.00	3.00	3.00	3.00
4	2217-80-192-0701-8996-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	7.00	0.16	4.12	2.06
5	2217-80-193-0701-7404-आपदा प्रबंधन कार्यक्रम	1.50	1.50	1.50	1.50

(स्रोत: विनियोग लेख 2015-16)

सतत् बचत की पुनरावृत्ति विभाग में मौजूद बजटिंग का नियंत्रण में कमी को दर्शाता है। तथ्य शहरी प्रशासनिक एवं विकास विभाग के ध्यान में लाया गया, हालांकि उत्तर अभी तक अपेक्षित है (नवम्बर 2016)।

2.7.5 समर्पण प्रस्ताव भेजने में विलंब

मध्य प्रदेश बजट नियमावली (छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुसरित) के परिशिष्ट-II अनुसार समर्पण प्रस्ताव वित्त विभाग को संबंधित वित्तीय वर्ष के 15 मार्च के बाद नहीं भेजना चाहिए।

वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 345.54 करोड़ की राशि 31 मार्च 2016 को नियमावली के प्रावधानों को उल्लंघित कर समर्पित किए गए।

वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस को बजट का समर्पण, अन्य किसी अनुदान/विनियोग के अंतर्गत सदुपयोग का कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता।

2.7.6 व्यय का अतिवेग

मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिका 92 के अनुसार जैसे अनुदान जिसका लाभकारी रूप से सदुपयोग नहीं किया जा सकता उसे समर्पित कर देना चाहिए। व्यय के अतिवेग, विशेषकर वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में करने से बचना चाहिए।

यह देखा गया कि विभागों द्वारा इसका पालन नहीं किया गया। व्यय का वस्तु-शीर्षवार विस्तृत विवरण जहाँ वर्ष 2015-16 के दौरान अंतिम तिमाही के दौरान और मार्च माह में व्यय का प्रतिशत प्रत्येक प्रकरण में 50 प्रतिशत और ज्यादा है, तालिका 2.16 में दिया गया है।

तालिका 2.16: व्यय का अतिवेग

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	लेखाओं के शीर्ष	वर्ष के दौरान कुल व्यय	अंतिम तिमाही के दौरान कुल व्यय		मार्च माह के दौरान व्यय	
			राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2217-05-191-0101-7487- नगरीय निकायों के विद्यालयों में सायकल वितरण योजना	0.17	0.17	100	0.17	100
2	2217-05-192-0101-1785- झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों में पेयजल तथा शौचालयों इत्यादि की व्यवस्था हेतु स्थानीय निकायों को अनुदान	1.52	1.52	100	0.95	63
3	2217-05-192-0101-7487- नगरीय निकायों के विद्यालयों में सायकल वितरण योजना	0.05	0.05	100	0.05	100
4	2217-05-193-0101-1785- झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों में पेयजल तथा शौचालयों इत्यादि की व्यवस्था हेतु स्थानीय निकायों को अनुदान	1.52	1.52	100	1.52	100
5	2217-80-191-0101-4178-शहरी कमजोर वर्ग के कमाने वाले सदस्यों का समूह बीमा	0.49	0.49	100	0.49	100
6	2217-80-191-0701-6741- राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन	45.83	45.52	99	45.52	99
7	2217-80-191-0701-6808- लघु एवं मध्यम नगरों की अधोसंरचना विकास योजना	30.00	30.00	100	30.00	100
8	2217-80-191-0701-7686 सरदार पटेल शहरी आवास	3.64	3.64	100	3.64	100
9	2217-80-192-0101-4178-शहरी कमजोर वर्ग के कमाने वाले सदस्यों का समूह बीमा	0.36	0.36	100	0.36	100
10	2217-80-193-0101-4178-शहरी कमजोर वर्ग के कमाने वाले सदस्यों का समूह बीमा	0.36	0.36	100	0.36	100

(स्रोत: विनियोग लेखे 2015-16)

वित्तीय वर्ष के अंतिम तिमाही में व्यय का एकीकरण बुद्धिमत्तापूर्ण वित्तीय प्रबंधन नीति नहीं है और यह व्यय पर नियंत्रण पर नियमावली के प्रावधान के विपरीत है।

तथ्य को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के ध्यान में लाया गया। शीर्ष लेखा 2217-05-191-0101-7487- नगरीय निकायों के विद्यालयों में सायकल वितरण योजना तथा शीर्ष लेखा 2217-05-192-0101-7487- नगरीय निकायों के विद्यालयों में सायकल वितरण योजना के संबंध में तथ्य प्रस्तुत किया गया कि नगर निगम/नगर निकाय द्वारा प्रस्ताव निर्धारित समय में नहीं प्रस्तुत किया तथा 2217-05-192-0101-1785- झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों में पेयजल तथा शौचालयों इत्यादि की व्यवस्था हेतु स्थानीय निकायों को अनुदान तथा 2217-05-193-0101-1785- झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों में पेयजल तथा शौचालयों इत्यादि की व्यवस्था हेतु स्थानीय निकायों को अनुदान के संबंध में बताया गया कि गर्मी के मौसम में पीने की पानी को उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु निधि व्यय करने हेतु बचत की जाती है। शेष बिन्दुओं पर विभाग द्वारा जवाब अपेक्षित है (नवम्बर 2016)।

2.8 निष्कर्ष और अनुशंसाएँ

वर्ष 2015-16 के दौरान प्रावधान से अतिरेक को नियमितीकरण की आवश्यकता

वर्ष 2015-16 के दौरान प्रावधान से अधिक ₹ 98.24 करोड़ का अधिक व्यय किया गया जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत नियमितीकरण करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, 2000-2015 के अवधि के दौरान किए गए अतिरेक व्यय को भी नियमितीकरण करने की आवश्यकता है।

सरकार को पूर्व वर्षों में हुए अतिरेक व्यय के नियमितीकरण हेतु उचित कार्यवाही करनी चाहिए।

अनुचित बजट प्राक्कलन के कारण बड़ी बचतें

- वर्ष 2015-16 के दौरान कुल बजट प्रावधान ₹ 74,339.53 करोड़ के विरुद्ध ₹ 19,985.67 करोड़ (27 प्रतिशत) की बड़ी बचत हुई जो अनुचित बजट प्राक्कलन को इंगित करती है। विभिन्न योजनाओं/उप-शीर्षों के अंतर्गत बड़ी बचतें राज्य में विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। सामाजिक और आर्थिक सेवाओं से संबंधित 10 अनुदानों में पिछले पाँच वर्षों के दौरान सतत् बचतें देखा गया।

बचत विशेषकर जहाँ सतत् बचतें हुई हैं तथा अप्रयुक्त अनुपूरक अनुदान से बचने के लिए सरकारी विभागों में बजटीय नियंत्रण तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए।

आकस्मिकता निधि से अग्रिम

- वर्ष 2015-16 के दौरान तीन अवसरों पर एंबुलेंस के क्रय, क्षेत्रीय कार्यालयों में आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन एवं डिक्री राशि के भुगतान के लिए आकस्मिकता निधि से ₹ 1.72 करोड़ की निकासी की गई जो कि न तो अनापेक्षित और न ही आकस्मिक प्रकृति के थे।

- आकस्मिकता निधि से अग्रिम केवल अनापेक्षित तथा आकस्मिक व्यय के लिए ही दिया जाना चाहिए।

स्कूल शिक्षा तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में बजटीय नियंत्रण में कमी

स्कूल शिक्षा तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में बजटीय नियंत्रण के बजट नियंत्रक अधिकारियों ने बजट नियमावली के प्रावधानों का अनुसरण नहीं किया जिसके फलस्वरूप विभाग में बजटीय नियंत्रण में कमी हुई।

स्कूल शिक्षा तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में बजटीय नियंत्रण विभाग को बजट नियमावली के प्रावधानों का पालन करना चाहिए।